झारखण्ड सरकार

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गुमला।

(पंचायत शाखा)

अति अल्पकालिन निविदा

एतद द्वारा सचिव राज्य निर्वाचन आयोग झारखण्ड राँची का पत्रांक 03नि0–(पं0)–90/2015 रा0नि0आ0–1483 दिनांक 31.10.2018 के आलोक में सूचित किया जाता है कि त्रिस्तरीय पंचायत (उप) निर्वाचन, 2018 के निमित चुनाव में मतपेटिकाओं का उपयोग किया जायेगा। इस निमित बड़ी मतपेटिकाओं का मरम्मति/ग्रीसिंग एवं रंगाई पोताई इत्यादि (मजदूरी दर के साथ) हेतु मुहरबंद निविदा अधिकृत निबंधित प्रतिष्ठानों से आमंत्रित की जाती है।

निविदा मुहरबंद लिफाफे में जिला पंचायत शाखा, गुमला में दिनांक **25.11.2018 को समय 12:00** बजे अपराह्न तक शीलबंद बक्से में डाले जायेंगे।

प्राप्त निविदाऐं दिनांक **25.11.2018 को समय 01:00** बजे अपराह्न में उपायुक्त, गुमला के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति एवं निविदादाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोली जायेगी। मुहरबंद लिफाफा में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना होगा।

1. प्रतिभुति राशि के रूप में रू0 1000.00 (एक हजार) का बैंक ड्राफ्ट जिला निर्वाचन पदाधिकारी, (पंचायत) –सह–उपायुक्त, गुमला के पदनाम से समर्पित करना अनिवार्य होगा। (झारखण्ड सरकार के प्रतिष्ठान/उपक्रम को छोड़कर) यह राशि स्वीकृत निविदादाता को छोड़कर अन्य को वापसी योग्य होगा।
2. निविदा के साथ पैन संख्या, अद्यतन आयकर रिर्टन, GST नं0 का स्वअभिप्रणित प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
3. बड़ी मतपेटिकाओं की कुल संख्या–500 (पाँच सौ) पीस एवं निर्धारित दर –

मतपेटिकाओं का ग्रीसिंग या तैलीकरण		प्रति पीस	1.00
मतपेटिकाओं का सफाई कार्य		प्रति पीस	2.00
स्प्रे पेन्टींग (Asian Paint से)		प्रति पीस	55.00
मरम्मति कार्य		प्रति पीस	18.00
मरम्मति कार्य में यदि सामानों की आवश्यकता हुई तो सामानों का दर	चक्री	प्रति पीस	53.00
	क्लिप	प्रति पीस	19.00
	हैन्डील	प्रति पीस	16.00
	विन्डो कवर	प्रति पीस	11.00

4. निविदा में अंकित दर के अतिरिक्त कोई हथालन, या परिवहन/**मजदुरी व्यय अलग से देय नहीं होगा।**
5. अनुभवि प्रतिष्ठानों को निविदा में प्राथमिकता दी जायेगी।

स्वीकृत निविदादाता को **एक सप्ताह के अन्दर कार्य को पूर्ण** करते हुए सामग्री एवं मतपेटिका कोषांग गुमला को हस्तगत कराना होगा। समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने पर फर्म को काली सूची में डालने तथा उनके द्वारा जमा की गई प्रतिभुति की राशि को जब्त करने/जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जायेगी।

काली सूची में दर्ज निविदादाता निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।

बिना कारण बताये किसी भी निविदा को अस्वीकृत/रद्द करने अथवा एक से अधिक निविदादाता के बीच क्रय समिति के अनुमोदनार्थ पर वितरीत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

Sd/-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
–सह–उपायुक्त, गुमला।

ज्ञापांक XIX-15/2018 512 /ग्रा0पं0 गुमला दिनांक 17 / 11 /2018

प्रतिलिपि :– निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राँची/जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि निविदा संबंधी विज्ञापन सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा की जाय, साथ ही आम सूचना हेतु सूचनापट्ट पर अंकित करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि :– जिला वेब मैनेजर, गुमला को जिला के वेबसाईट gumla.nic.in पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
–सह–उपायुक्त, गुमला।